संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

पत्रांक 42/14–1 दिनांक, शामली 07/07/2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
अम्बाला (हरियाणा)

विषय :– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई, अम्बाला द्वारा भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत **Development of 6 lane Access Controlled Greenfield Highway of (Shamli-Ambala NH-334GM)** हेतु उ0प्र0 राज्य में शामली वन प्रभाग के अन्तर्गत किमी0 0.000 से 13.000 तक 0.471 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 27 वृक्षों के पातन तथा सहारनपुर वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत किमी0 13.00 से 46.668 तक 0.456 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.927 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 73 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
Proposal No. FP/UP/ROAD/151161/2022

संदर्भः– 1–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/43/2022/एफ0सी0/148 दिनांक 29.05.2023
2–इस कार्यालय के पत्र संख्या–2148/14–1 दिनांक 30.06.2023
3–आपका कार्यालय पत्र संख्या–1092 दिनांक 0707.2023

महोदय,

जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अम्बाला हरियाणा द्वारा भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत Development of 6 lane Access Controlled Greenfield Highway of (Shamli-Ambala NH-334GM) हेतु उ0प्र0 राज्य में शामली वन प्रभाग के अन्तर्गत किमी0 0.000 से 13.000 तक 0.471 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 27 वृक्षों के पातन तथा सहारनपुर वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत किमी0 13.00 से 46.668 तक 0. 456 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.927 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 73 वृक्षों के पातन की अनुमति के संम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2023 जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ–साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1) जारी की गयी है।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल व धनराशि 2.0 हे0 की ली जानी थी, जो लिपिकीय त्रुटिवश 4.0 हे0 क्षेत्र व धनराशि अंकित हो गयी थी। आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में क्षेत्रफल व धनराशि संशोधित कर दी गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.05.2023 में उल्लिखित शर्त सं0–3 व शर्त सं0–4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार हैः–

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि

शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0में)	दर	धनराशि (रू0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6
शर्त सं0–3	शामली वन प्रभाग, शामली एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर	जनपद शामली के अन्तर्गत 0.471 हे0 एवं जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत 0.456 हे0 कुल 0.927 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 2.0 हे0 अवनत वन भूमि शाकुम्भरी–1 रेंज शाकुम्भरी जनपद सहारनपुर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित धनराशि		12,91,635.00	प्रयोक्ता एजेंसी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		योगः–		12,91,635.00	

2– संरक्षित वन का शुद्ध मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011–एफ0सी0 (VOl-1) दिनांक 06.01. 2022 के अनुपालन में बढी हुई एन0पी0वी0 (नई दर)

शर्त सं0–4	शामली वन प्रभाग, शामली एवं सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर	शामली 0.471 हे0	12,28,590.00 प्रति हे0	शामली– 5,78,666.00	
		सहारनपुर 0.456 हे0		सहारनपुर– 5,60,238.00	
		योगः–		11,38,904.00	

①

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय
ात है कि कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त **संख्या–3** के अनुपालन में 2.0 हे0 अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण एवं
र्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि **रूपये–12,91,635.00 (बारह लाख इक्यानवे हजार छः सौ पैंतीस मात्र)** एवं **शर्त संख्या–4** के
लन में 0.927 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि **रूपये– 11,38,904.00 (ग्यारह लाख
ीस हजार नौ सौ चार मात्र), कुल धनराशि 24,30,539.00 (चौबीस लाख तीस हजार पांच सौ उन्तालीस मात्र)** की धनराशि
ता एजेंसी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का
करें, तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.05.2023 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या–1 से
ाक की अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/वचनबद्धताऐं 05 प्रतियों में इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें,
ि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकें।
ग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली

ांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी वन विभाग 17 राणा प्रताप मार्ग उ0प्र0 लखनऊ।

2–वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली

ΔC